**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–131/2002**

बीबी लालमुन नेशा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

गुफरान आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **22.11.2025** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 27.01.2023 को अंदर आदेश 06 नियम 17 वो दफा 151 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 22.11.2025 को आदेश हेतु निश्चित है।<br>वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि मुकदमा उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है तथा सुलहनामा के दौरान नालिश देखने से जाहिर हुआ है कि नालिश में कुछ शब्द टंकक की आसवधानी से गलत टंकित हो गया है तथा कुछ तथ्य टंकित होना छुट गया है, जिसका सुधार आवश्यक है। मुदालहम के प्रदर्श कागजात को देखने से जाहिर हुआ है कि प्रदर्श–डी/1 मु0 मैमुला खातुन बहक जाफर इमाम का बख्शीशनामा भी प्रदर्श हुआ है, जिसकी चर्चा नालिश में नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ अनुतोष की आवश्यकता है। नालिश देखने से यह भी जाहिर हुआ है कि नालिश के मुदई खाने में जावेद अख्तर (मुदई सं0–03) का नाम जावेदन अख्तर गलती से टंकित हो गया है,जिसे सुधार कर लेना आवश्यक हे। यह संशोधन आवेदन काफी औपचारिक है तथा इस संशोधन संशोधन आवेदन से वाद की प्रकृति पर कोई असर नहीं है। इस संशोधन आवेदन के पूर्व एक संशोधन आवेदन मुदईयान की ओर से दिनांक 29.09.2022 को दिया गया था जिसमें कुछ त्रुटि के कारण अपरिचालित दिनांक 25.11.2022 को कर दिया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि संशोधन आवेदन को न्यायहित में स्वीकार करते हुए नालिश में आवेदनानुसार संशोधन करने का आदेश देने की कृपा करें।<br>प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन वादीगण के आवेदन | |

**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–131/2002**

बीबी लालमुन नेशा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

गुफरान आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 22.11.2025** | का मौखिक विरोध किया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा एक संशोधन आवेदन दिनांक 27.01.2023 को दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया है कि आवेदनानुसार वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि पक्षकार को ऐसे किसी भी संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वाद से संबंधित प्रतीत होता हो, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। वादीगण द्वारा आवेदन में वर्णित संशोधन वाद से संबंधित प्रतीत होता है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 27.01.2023 को स्वीकार किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में संशोधन करे।<br>वाद दिनांक 02.12.2025 को सुनवाई वास्ते निश्चित किया जाता है।<br>(लेखापित)<br>अवर न्यायाधीश–1<br>नरकटियागंज | |